(अनवान कपिल दहिया बनाम जय सिंह
राजस्व वाद संख्या :- 188/2023)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– जीतू कुलहरी आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 188/2023

कपिल दहिया पुत्र श्री जय सिंह जाति जाट उम्र 35 वर्ष निवासी महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

...... वादी

बनाम

1. जय सिंह पुत्र श्री केसरीसिंह } जाति जाट निवासी महियांवाली
2. अरविन्द दहिया पुत्र श्री जय सिंह } तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री मनोहर लाल सहारण अधिवक्ता	वादी
2.	श्री जय प्रकाश बेरड अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1 व 2
3.	पैरोकार राज श्रीगंगानगर	प्रतिवादी–3

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 08.07.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि तहसील श्रीगंगानगर के चक 6 एम. एल. के खाता संख्या 35/24 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 19 के किला नं. 1/1 में 0.0380 है0 नहरी, किला नं. 1/2 में 0.0250 है0 खाला, किला नं. 1/3 में 0.1900 है0 नहरी, किला नं. 2/1 में 0.2030 है0 नहरी, किला नं. 2/2 में 0.0250 है0 खाला, किला नं. 2/3 में 0.0250 है0 नहरी, किला नं. 3 ता 6 प्रत्येक सालम, किला नं. 7/1 में 0.0130 है० नहरी, किला नं. 7/2 में 0.0380 है0 खाला, किला नं. 7/3 में 0.2030 है0 नहरी, किला नं. 8/1 में 0.1140 है0 नहरी, किला नं. 8/2 में 0.0380 है० खाला, किला नं. 8/3 में 0.1010 है0 नहरी, किला नं. 9/1 में 0. 2400 है0 नहरी, किला नं. 9/2 में 0.0130 है० खाला, किला नं. 10/1 में 0.063 है0 नहरी किला नं. 12 ता 14 प्रत्येक सालम, किला नं. 15/1 में 0.0890 है0 नहरी, किला नं. 15/2 में 0.0380 है० खाला, किला नं. 15/3 में 0.1260 है0 नहरी, किला नं. 16 ता 19 22 ता 24. प्रत्येक सालम, किला नं. 25/[illegible]6 है0 नहरी की कुल 5.0730 हैक्टयर नहरी व 0.1770 हैक्टयर खाला मुरब्बा [illegible] 22 [illegible] किला नं. 1/1 में 0. 228 है0 नहरी, किला नं. 1/2 में 0.0250 है0 खाला किला [illegible] 1 में 0.228 है० नहरी किला नं. 2/2 में 0.0250 है0 खाला किला नं. 3/[illegible]28 है० नहरी, किला नं. 3[illegible] 0.0250 है0 खाला, किला नं. 8 ता 10 प्रत्येक स[illegible], किला नं. 11/1 में 0.1[illegible] नहरी, किला नं. 12, 13, 18, 19, 22, 23 प्रत्येक सालम कुल 8.1600 हैक्टयर नहरी, 0. 252 हैक्टयर खाला इस प्रकार कुल तादादी 8.4120 हैक्टयर नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 जय सिंह के नाम से दर्ज कागजात माल हैं। उपरोक्त रकबा जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं वह जद्दी जायदाद है वह प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:35:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

1 को डिक्री द्वारा प्राप्त हुआ हैं इस कारण वादी का इसमें हक व हिस्सा बनता हैं। डिक्री की फोटो प्रति साथ संलग्न वादं पत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तहसील श्रीगंगानगर व तहसील फाजिल्का के गांव कैरीयां में रकबा पड़ता हैं दोनों जगह काश्त करने में परेशानी होती हैं व फसल का पूरा फायदा नहीं मिल पाता है इस कारण काश्त की सहूलियत अच्छी आबपाशी, हक व हिस्सानुसार अच्छी गाड़ी के हिसाब से वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने घरेलू मौखिक बंटवारा करीबन 1 वर्ष पूर्व कर लिया जिस अनुसार दोनो पक्ष काबिज हैं व इसी अनुसार अपने हक व हिस्सा के रकबा का उपयोग, उपभोग बिना किसी विघन के करते आ रहे हैं। घरू बंटवारानुसार प्रत्येक पक्ष में हक व हिस्सा में रकबा निम्न प्रकार से है :–

वादी संख्या 1 कपिल दहिया का हिस्सा :–

चक 6 एम. एल. के खाता संख्या 35 / 24 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 19 की कुल तादादी 5.250 हैक्टयर नहरी मय खाला ।

प्रतिवादी संख्या 1 जय सिंह का हिस्सा :–

गांव कैरीयां तहसील व जिला फाजिल्का में 8 किला रकबा जो राजस्थान का लगभग 3.036 हैक्टयर नहरी बनता है जो अधिक उपजाऊ है इसमें कुछ हिस्सा **प्रतिवादी संख्या 2 अरविन्द दहिया का हैं।**

प्रतिवादी संख्या 2 अरविन्द दहिया का हिस्सा :–

चक 6 एम. एल. के खाता संख्या 35 / 24 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 22 की कुल 3.162 हैक्टयर नहरी मय खाला ।

खाता सांझा रहने से लगान व आबियाना देने में, पानी की भराई–खिंचाई में कई प्रकार की व्यवहारिक दिक्कते आती हैं व बैंक ऋण सुविधा व सरकारी अनुदान का पुरा फायदा नहीं मिल पाता, इस कारण हक व हिस्सानुसार, कब्जा काश्त अनुसार खाता तकसीम करवाना आवश्यक व जरूरी हैं। वादी ने कई बार प्रतिवादीगण से कहा कि घरेलू बंटवारानुसार जिस प्रकार प्रत्येक पक्ष के हक व हिस्सा में रकबा आया है उसी अनुसार खाता तकसीम करवाने के लिए व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के लिए आप सक्षम अधिकारी के समक्ष सहमति के ब्यान कर दो ताकि घरेलू बंटवारा का अमल दरामद हो जावे। पहले तो वह आजकल आजकल करते रहे फिर आज से 10 रोज पूर्व स्पष्ट इंकार हो गये और कहने लगा कि मैं तो इस घरेलू बंटवारा को नहीं मानता हूँ और ना ही तुम्हारे पक्ष में सहमति के ब्यान करता हूँ तुम्हे जो करना है सो करो बस यही बिनाय दावा है जो वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ हासिल हुआ हैं। राजस्थान सरकार भूमि की मालिक हैं आवश्यक पक्षकार है इसलिए उसे प्रतिवादी पक्षकार बनाया है लेकिन उससे कोई अनुतोष नहीं चाहा हैं। दावा श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो समयावधि में समुचित कोर्टफीस पर पेश हैं। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें :–

(क) घोषित किया जावे कि वादी वाद पत्र की मद संख्या 5 के अनुसार खातेदार काश्तकार हैं।

(ख)– इसी अनुसार खाता तकसीम किया जाकर लगान व आबियाना अलग अलग कायम किया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(घ) अन्य कोई आज्ञा जो न्यायसंगत व मुझ वादी के पक्ष में हो प्रदान की जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:35:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्षकारान आपस मे भाई/पिता है। गांव के मौतबिरान व परिवार के नजदीकी रिश्तेदारो द्वारा दोनो पक्षों का हक वा हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त अनुसार अच्छी व माड़ी के हिसाब से काश्त की सहूलियत के अनुसार राजीनामा करवा दिया है। इस राजीनामा अनुसार दोनो पक्ष अपने-अपने हक वा हिस्सा पर काबिज है । राजीनामा निम्न प्रकार से है :- यह कि घरेलू बंटवारा अनुसार प्रत्येक पक्ष के हक मे हिस्सा निम्न प्रकार आया:- **क- प्रथम पक्ष कपिल दहिया का हिस्सा :-**

चक 6 एम. एल. के खाता संख्या 35 / 24 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 19 की कुल तादादी 5.250 हैक्टयर नहरी मय खाला।

ख- द्वितीय पक्ष जय सिंह का हिस्सा :-

गांव कैरीयां तहसील व जिला फाजिल्का में 8 किला रकबा जो राजस्थान का लगभग 3.036 हैक्टयर नहरी बनता है जो अधिक उपजाऊ है इसमें कुछ हिस्सा द्वितीय पक्ष अरविन्द दहिया का हैं।

ग- द्वितीय पक्ष अरविन्द दहिया का हिस्सा :-

चक 6 एम.एल. के खाता संख्या 35/24 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 22 की कुल 3.162 हैक्टयर नहरी मय खाला ।

अतः राजीनामा प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्षकारान ने अपनी सहमति से मय होश हवास बिना नशा पता बिना किसी जबर दबाव के रोबरू गवाहान लिख दिया है जिसको पक्षकारान ने पढ़कर सुन व समझकर व सही मानकर प्रत्येक पृष्ठ पर अपने अपने हस्ताक्षर/अगूंठा किये है। ताकि सन्नद रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा स्टेट जवाब पेश किया गया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी एवम् वकील प्रतिवादीगण द्वारा निवेदन किया वादी द्वारा वाद विभाजन का प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादी एवम् प्रतिवादीगण के हिस्सा की भूमि का विभाजन किया जाना है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा पेश हो चुका है प्रकरण में किसी प्रकार का कोई प्रतिवाद नहीं है। तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्रस्ताव मंगवाये जाने बाबत सहमति जताई गई। वादी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय दस्तावेजात एवं जमाबंदी सम्वत 2073-2076 चक 6 एमएल, पटवार हल्का महियांवाली, भू.अ.नि.क्षेत्र. नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 35/24 का अवलोकन किया गया। मुतातिबक जमाबंदी वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपनी भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा व विभाजन अपने पुत्र वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 के मध्य करना चाहता है। वाद में राजीनामा पेश हो चुका है। वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण तहसीलदार श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक 3354 दिनांक 19.06.2024 के विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। वकील उभयपक्ष द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर अनापत्ति जाहिर करते हुए तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार वाद डिकी किया जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:35:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(अनवान कपिल दहिया बनाम जय सिंह
राजस्व वाद संख्या :– 188/2023)

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी मुताबिक तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 3354 दिनांक 19.06.2024 के अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 2 को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है :–

क्र.सं.	खातेदार	रकबा का विवरण
1	कपिल दहिया पुत्र जय सिंह जाति जाट साकिन महियांवाली (वादी संख्या 1)	चक 6 एमएल के खाता संख्या 35, मुरबा नम्बर 19 का रकबा 5.25 हैक्टर नहरी मय खाला
2	अरविन्द दहिया पुत्र जय सिंह जाति जाट साकिन महियांवाली (प्रतिवादी संख्या 2)	चक 6 एमएल के खाता संख्या 35, मुरबा नम्बर 22 का रकबा 3.162 हैक्टर नहरी मय खाला

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 08.07.2024 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kumari
Date: 2024.09.11 15:3
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)